# राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

NIEPA DC
D06488

सत्यमेव जयते

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
भारत सरकार
नई दिल्ली
जनवरी 1988

# विषय सूची


**संक्षिप्त नामों की सूची** 1

**प्रमुख (नोडल) और सहयोगी एजेंसियां** 4

**1. भूमिका**

भारत में साक्षरता 6

चुनौती का स्वरूप 9

साक्षरता क्यों जरूरी है 10

इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा 12

**2. लक्ष्य**

मिशन का लक्ष्य 14

मिशन किन के लिए 16

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूण बातें 18

**3. कार्यनीति**

राष्ट्र-व्यापी कार्यनीति 19

प्रेरणा का प्रश्न 22

प्रेरणादायी कार्यक्रमों की रूपरेखा 23

लोगों का सहयोग 24

स्वैच्छिक संस्थाएं 26

मौजूदा कार्यक्रमों में सुधार 28

कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम 30

सतत शिक्षा 32

मानक अध्ययन सामग्री उपलब्ध होना 34

सभी को शिक्षा सुलभ कराना 36

## 4. तकनो-शिक्षण सिद्धान्त और तकनोलोजी प्रयोग


वे क्षेत्र जहां तकनो-शिक्षण सिद्धान्तों से निकली बातों का प्रयोग होगा और अनुसंधान तथा विकास के कार्य होंगे 37

तकनोलोजी की प्रयोग विधि 40


## 5. प्रबन्ध


मिशन प्रबन्ध के मुख्य सिद्धान्त 41

मिशन प्रबन्ध का ढांचा 42

मानीटरिंग और मूल्यांकन 46

वित्तीय अनुमान 49


## रेखा चित्र


राष्ट्रीय स्तर का ढांचा 50

सूचना वितरण प्रणाली का ढांचा 51


## परिशिष्ट


पढ़ने, लिखने और गणित में निर्धारित स्तर 54

वर्ष 1987-90 के दौरान किस एजेंसी द्वारा 15-35 आयु वर्ग के कितने प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाया जाएगा 56

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की वित्तीय आवश्यकताएं (1987-90) 57

सहयोगी एजेंसियां और उनकी भूमिका 58

# संक्षिप्त नामों की सूची

| | |
|---|---|
| प्रौ.शि. | प्रौढ़ शिक्षा |
| प्रौ. शि.के. | प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र |
| भा.भा.इ. लि. | भारत भारी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड |
| ज.का. ग्रा. प्रौ. प्र. प. | जन कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद |
| के.इ.इ.अ.सं. | केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान |
| के.इ.लि. | केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड |
| के.शै.प्रौ.सं. | केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान |
| के.भा.भा. सं. | केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान |
| के.या.इ.स. | केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी संस्थान |
| के.वै.उ.सं. | केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन |
| वै.औ.अ.प. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद |
| के.स.क.बो. | केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड |
| प्रौ.शि.नि. | प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय |
| जि.शि.बो. | जिला शिक्षा बोर्ड |
| जि.शि.प्र.सं. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान |
| गै.प.ऊ.स्रो.वि. | गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग |
| इ.वि. | इलेक्ट्रानिकी विभाग |
| जि.सं.ए. | जिला संसाधन एकक |
| जि.सै.ना.वा.बोर्ड | जिला सैनिक, नाविक एवं वायुसैनिक बोर्ड |
| इ.आ. | इलेक्ट्रानिकी आयोग |
| भा.इ.नि.लि. | भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड |

| | |
|---|---|
| इ.व्या.प्रौ.वि.वि.लि. | इलेक्ट्रानिकी व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड |
| म.बा.वि.यो | समेकित बाल विकास योजना |
| भा.पे.सं. | भारतीय पेट्रोलियम संस्थान |
| भा.प्रौ.सं. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान |
| बा.मृ.द. | बाल मृत्यु दर |
| भा.पे.र.लि. | भारतीय पेट्रो रसायन लिमिटेड |
| ज.शि.नि. | जन शिक्षण निलयम |
| गृ.मं. | गृह मंत्रालय |
| रा.प्रौ.शि.प्रा. | राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा प्राधिकरण |
| गै.औ.शि. | गैर-औपचारिक शिक्षा |
| रा.प्रौ.शि.सं. | राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान |
| रा.डि.सं. | राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान |
| रा.इ.लि. | राष्ट्रीय इन्सट्रूमेन्टेशन लिमिटेड |
| रा.सा.मि. | राष्ट्रीय साक्षरता मिशन |
| रा.शि.नी. | राष्ट्रीय शिक्षा नीति |
| रा.से.यो. | राष्ट्रीय सेवा योजना |
| ने.यु.के. | नेहरू युवक केन्द्र |
| पं.रा. | पंचायती राज |
| ग्रा.का.सा.प. | ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना |
| क्षे.अ.प्र. | क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला |
| अं.अ.के. | अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र |
| रा.प्रौ.शि.का. | राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम |
| अनु.जा. | अनुसूचित जाति |
| रा.शि.ए.प्र.सं. | राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान |

| | |
|---|---|
| रा.सं.के | राज्य संसधान केन्द्र |
| वि.ए.प्रौ. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| अनु.ज. | अनुसूचित जनजाति |
| श्र.वि.पी. | श्रमिक विद्यापीठ |
| प्रौ.प्र. | प्रौद्योगिक प्रदर्शन |
| टे.शै.नि. | टेक्नो शैक्षिक निवेश |
| प्रा.शि.स.सु. | प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण |
| स्वै. ए. | स्वैच्छिक एजेंसी |
| ग्रा.शि.स. | ग्राम शिक्षा समिति |
| म.आ.स.शि. | महिला आजीवन समेकित शिक्षा |

# प्रमुख और सहयोगी एजेंसियां

## प्रमुख (नोडल) एजेंसी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

## सहयोगी एजेंसियां

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाएं
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग
इलेक्ट्रानिकी आयोग
औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाएं
विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और इंजीनियरी कालेज
कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्र
आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य जन-प्रचार एजेंसियां
भाषा अनुसंधान संस्थाएं
राज्य संसाधन केन्द्र

# 1. भूमिका

सातवीं पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा हैं: ''विकास का संबंध केवल कल-कारखानों, बांधों और सड़कों से नहीं है। इसका संबंध बुनियादी तौर पर लोगों के जीवन से है। इसका लक्ष्य है लोगों की भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति। मानवीय पक्ष और उससे जुड़ी हुई बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में हमें इन बातों पर अधिक ध्यान देना होगा।'' साक्षरता मानव के विकास का एक बहुत ही जरूरी अंग है। यह अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का, नई बातें सीखने का और ज्ञान और विज्ञान के आदान-प्रदान का बहुत जरूरी साधन है। इस तरह साक्षरता व्यक्ति की उन्नति की और राष्ट्र के उत्थान की पहली शर्त है।

साक्षरता के प्रचार-प्रसार को राष्ट्र के पांच मिशनों में से एक मिशन माना गया है, ताकि तकनोलोजी और विज्ञान की खोज का लाभ समाज के उन उपेक्षित वर्गों और क्षेत्रों को मिले जो देश के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एक सामाजिक मिशन है। इसका अर्थ यह है कि मिशन के लक्ष्यों को पाने के लिए सभी जगहों पर राजनीतिक संकल्प मौजूद है, सामाजिक शक्तियों को जुटाने के लिए जनमत तैयार किया जा सकता है और लोगों की छिपी हुई शक्तियों को जगाकर उनका पूरा पूरा सहयोग पाने के तौर-तरीके निकाले जा सकते हैं ताकि लोगों के रहन-सहन और कामकाज की हालत में सुधार हो।

## 1.1 भारत में साक्षरता

पिछले कुछ सालों में प्रौढ़ शिक्षा तथा प्राइमरी शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने पर बल दिए जाने के बावजूद, निरक्षरों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि साक्षरता के प्रतिशत में भी सुधार हुआ है।

**तालिका 1. भारत में निरक्षरों/साक्षरों की संख्या (10 लाख में)**

| | सभीआयु-वर्ग | | 15-35आयु-वर्ग | |
|---|---|---|---|---|
| | 1951 | 1981 | 1951 | 1981 |
| निरक्षरों की संख्या | 300 | 437 | 91 | 110 |
| साक्षरों की संख्या | 60 | 247 | 27 | 111 |
| साक्षरता प्रतिशतता | 16.67 | 36.23 | 22.7 | 50.2 |

**तालिका 2. साक्षरता की दृष्टि से राज्यों में अंतर–1981**

| | उच्चतम | | निम्नतम | |
|---|---|---|---|---|
| सभी व्यक्तियों की साक्षरता | केरल | 70% | अरुणाचल प्रदेश | 21% |
| अनु. जातियों की साक्षरता | केरल | 56% | बिहार | 10% |
| अनु. जनजातियों की साक्षरता | मिजोरम | 60% | आंध्र प्रदेश | 8% |
| ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता | केरल | 65% | राजस्थान | 55% |

**तालिका 3. महिलाओं तथा पुरुषों की साक्षरता दर में अंतर–1981**

| | पुरुष | महिलाएं |
|---|---|---|
| सभी क्षेत्रों की साक्षरता दर | 47% | 25% |
| शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर | 66% | 48% |
| ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर | 41% | 18% |

बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में, जहां भारत के 38% ग्रामीण परिवार रहते हैं, ग्रामीण महिला साक्षरता 10% से कम है।

**तालिका 4. 1901 से 1981 तक भारत में महिलाओं तथा पुरुषों की साक्षरता की दरें**

| | | साक्षरता दरें (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|
| वर्ष | लोग | पुरुष | महिलाएं |
| 1901 | 5.35 | 9.83 | 0.60 |
| 1911 | 5.92 | 10.56 | 1.05 |
| 1921 | 7.16 | 12.21 | 1.81 |
| 1931 | 9.50 | 15.59 | 2.93 |
| 1941 | 16.10 | 24.90 | 7.30 |
| 1951 | 16.67 | 24.95 | 7.93 |
| 1961 | 24.02 | 34.44 | 12.95 |
| 1971 | 29.45 | 39.45 | 18.69 |
| 1981 | 36.23 | 46.89 | 24.82 |

* 1981 की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है।

# तालिका 5. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए साक्षरता दरें–1981

| भारत/राज्य/ संघ शासित क्षेत्र | कुल जनसंख्या* व्यक्ति | पुरुष | महिलाएं |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **भारत** ** | 36.23 | 46.89 | 24.82 |
| **राज्य** | | | |
| 1. आंध्र प्रदेश | 29.94 | 39.26 | 20.39 |
| 2. बिहार | 26.20 | 38.11 | 13.62 |
| 3. गुजरात | 43.70 | 54.44 | 32.30 |
| 4. हरियाणा | 36.14 | 48.20 | 22.27 |
| 5. हिमाचल प्रदेश | 42.48 | 53.19 | 31.46 |
| 6. जम्मू और कश्मीर● | 26.67 | 36.29 | 15.88 |
| 7. कर्नाटक | 38.46 | 48.81 | 27.71 |
| 8. केरल | 70.42 | 75.26 | 65.73 |
| 9. मध्य प्रदेश | 27.87 | 39.49 | 15.53 |
| 10. महाराष्ट्र | 47.18 | 58.79 | 34.79 |
| 11. मणिपुर | 41.35 | 53.29 | 29.06 |
| 12. मेघालय | 34.08 | 37.89 | 30.08 |
| 13. नागालैंड | 42.57 | 50.06 | 33.89 |
| 14. उड़ीसा | 34.23 | 47.10 | 21.12 |
| 15. पंजाब | 40.86 | 47.16 | 33.69 |
| 16. राजस्थान | 24.38 | 36.30 | 11.42 |
| 17. सिक्किम | 34.05 | 43.95 | 22.20 |
| 18. तमिलनाडु | 46.76 | 58.26 | 34.99 |
| 19. त्रिपुरा | 42.12 | 51.70 | 32.00 |
| 20. उत्तर प्रदेश | 27.16 | 38.76 | 14.04 |
| 21. पश्चिम बंगाल | 40.94 | 50.67 | 30.25 |

| भारत/राज्य/ संघ शासित क्षेत्र | कुल जन संख्या* व्यक्ति | पुरुष | महिलाएं |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **संघ शासित क्षेत्र** | | | |
| 1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 51.56 | 58.72 | 42.14 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश●● | 20.79 | 28.94 | 11.32 |
| 3. चंडीगढ़ | 64.79 | 69.00 | 59.31 |
| 4. दादर और नगर हवेली | 26.67 | 36.32 | 16.78 |
| 5. दिल्ली | 61.54 | 68.40 | 53.07 |
| 6. गोआ ●● दमन और दीव | 56.66 | 65.59 | 47.56 |
| 7. लक्ष्यद्वीप | 55.07 | 65.24 | 44.65 |
| 8. मिजोरम●● | 59.88 | 64.46 | 54.91 |
| 9. पांडिचेरी | 55.85 | 65.84 | 45.71 |

* 0-4 आयु वर्ग शामिल है।

** असम में जनगणना नहीं की जा सकी (वह इसमें शामिल नहीं है)।

● पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र की जनसंख्या को छोड़ दिया गया है क्योंकि वहां जनगणना नहीं की जा सकी।

●● अरुणाचल प्रदेश, गोआ और मिजोरम अब राज्य बन गए हैं।

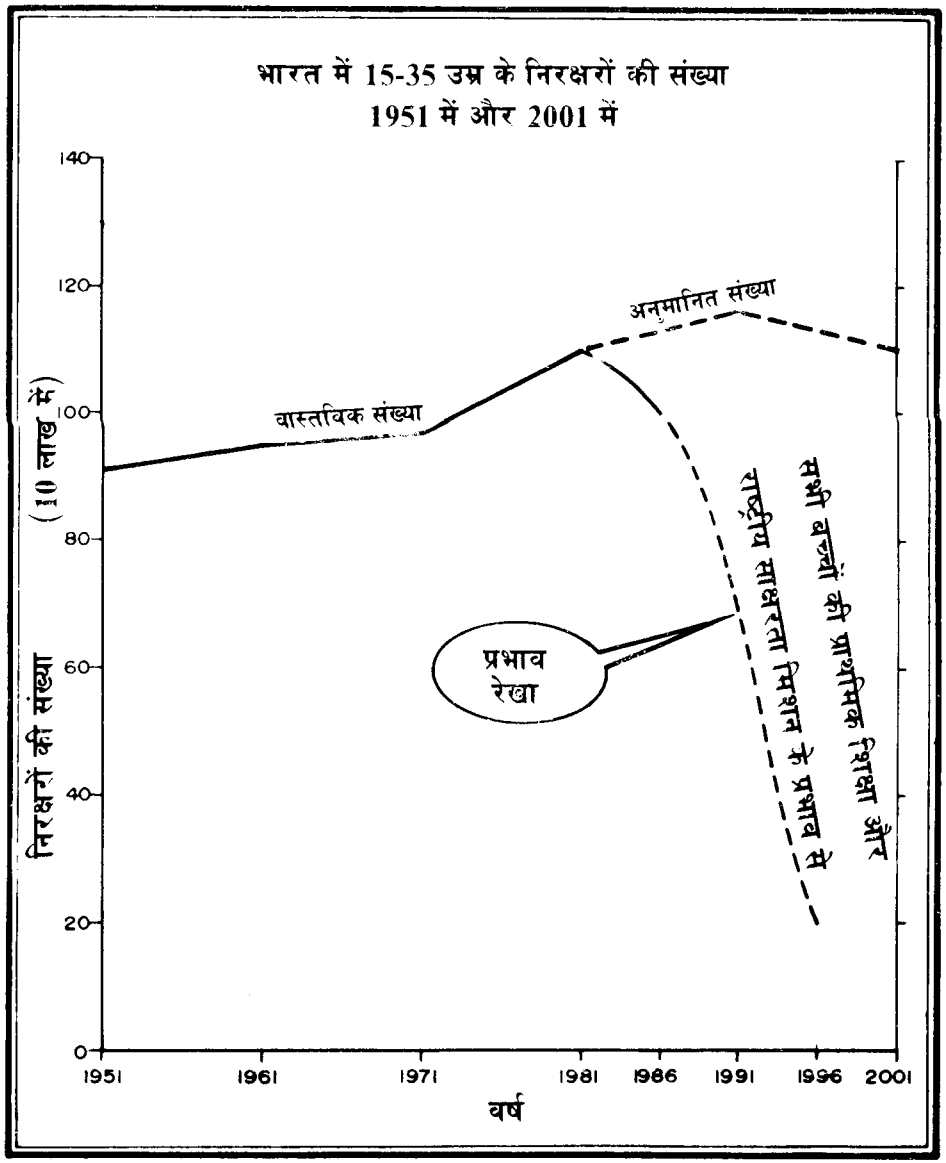


## 1.2 चुनौती का स्वरूप

1951 में 15-35 वर्ष की उम्र वाले निरक्षरों की संख्या 9 करोड़ 10 लाख थी जो 1981 में बढ़कर 11 करोड़ हो गई। इस रुख के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1991 तक इस उम्र के लोगों में निरक्षरों की संख्या बढ़कर 11 करोड़ 60 लाख हो जाएगी और 2001 ई. तक घटकर 11 करोड़ रह जाएगी।

**वर्ष 2001 में 15-35 वर्ष की उम्रवालों में निरक्षरों की संख्या**

11 करोड़– यह वर्तमान रुख के अनुसार है सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा (अर्थात औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा धाराओं के प्रभाव को ही ध्यान में रखा गया है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रभाव को नहीं।

1 करोड़ 20 लाख– यहां सभी बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा (औपचारिक तथा अनौपचारिक) के प्रभाव के साथ-साथ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के योगदान को भी ध्यान में रखा गया है।

## 1.3 साक्षरता क्यों जरूरी है

केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय के बावजूद कि निरक्षरता मिटाने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा, जन साक्षरता के महत्व को पूरी तरह समझा नहीं गया है। बहुत सी जांचों तथा अनुभवों से अब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साक्षरता मानव संसाधन विकास के विभिन्न पहलुओं को किस तरह प्रभावित करती हैं।

### (i) प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की हाजिरी आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ जाती है

पढ़े लिखे माता-पिता अपने बच्चों को अपने आप प्राथमिक स्कूलों में भेजते हैं। उनके बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ दें, इसकी संभावना भी कम होती है। स्कूल में उनके बच्चे पढ़ाई में भी अधिक अच्छे होते हैं।

### (ii) बाल मृत्यु दर कम हो जाती है

जनगणना के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार, अनपढ़ माताओं के शिशुओं और बालकों की मृत्यु दर बहुत अधिक होती है।

**तालिका 6. महिला शिक्षा और बाल मृत्यु दर का संबंध**

| | बाल मृत्यु दर | |
|---|---|---|
| महिलाओं का शैक्षिक स्तर | ग्रामीण | शहरी |
| अनपढ़ | 145 | 88 |
| प्राइमरी स्तर से कम | 101 | 57 |
| प्राइमरी एवं उससे ऊपर | 71 | 47 |
| कुल साक्षर | 90 | 50 |

## (iii) बच्चों की देखरेख करने और उन्हें टीके लगवाने में कहीं अधिक सफलता

यदि माताएं पढ़ी लिखी होंगी तो संभावना है कि वे बच्चों को टीके लगवाना कहीं अधिक पसंद करेंगी। साक्षरता केन्द्र ऐसी जगह हैं जहां माताओं को उनके बच्चों की देख-रेख के बारे में बताया जाता है। यदि माताएं पढ़ी लिखी होंगी तो संभावना है कि ऐसे कार्यक्रमों की सफलता बढ़ जाएगी जिनमें स्तनपान कराने को बढ़ावा दिया जाता हैं, दस्तों के कारण बच्चों के शरीर में होनेवाली पानी की कमी का इलाज बताया जाता हैं अथवा बच्चों की बढ़ोतरी की जांच करते रहने के बारे में चेतना पैदा की जाती है।

## (iv) जन्म दर घट जाती है

छोटे परिवार के आदर्श को अपनाना व्यक्ति के साक्षरता स्तर पर निर्भर करता है। साक्षरता के कारण लोग छोटे परिवार के आदर्श को अधिक अच्छी तरह समझ पाते हैं और अपनाते हैं। साक्षरता का स्तर जितना ऊंचा होगा उतने ही अनुपात में लोग छोटे परिवार का आदर्श अपनाएंगे।

**तालिका 7. परिवार नियोजन का पालन करने वाले दम्पतियों का प्रतिशत**

| | (दम्पतियों का प्रतिशत) | | |
|---|---|---|---|
| प्रतिमास आय (रुपयों में) | निरक्षर | साक्षर एवं प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त | प्राइमरी से आगे माध्यमिक स्तर तक शिक्षित |
| 200 से कम | 12.4 | 23.6 | 30.0 |
| 200-500 | 7.2 | 26.9 | 48.1 |
| 500-1000 | 22.4 | 44.0 | 61.5 |

## (v) महिलाओं में आत्मविश्वास जगा है और आत्म छवि सुधरी है

साक्षरता से महिलाएं अपने सामाजिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती है, आमदनी बढ़ाने वाले हुनर सीखती हैं और उनमें सुधार करती हैं। परिवार एवं समुदाय के मामलों में उनकी बात सुनी जाती है तथा समाज में बदलाव लाने तथा विकास के कार्यों में वे पुरुषों के कंधें से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं।

## 1.4 इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन की रिपोर्ट से कुछ अच्छाइयां और कुछ कमियां सामने आईं। उनके विश्लेषण के आधार पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की रचना की गई है।

1978-85 के बीच निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा इस कार्यक्रम का साथ-साथ मूल्यांकन किया गया:

1. मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, मद्रास।
2. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद।
3. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बम्बई।
4. उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र, एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा।
5. सरदार पटेल आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद।
6. जेवियर श्रम संबंध संस्थान, जमशेदपुर।
7. ए.एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना।

इन्होंने 56 रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। इनके निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

**सफलताएं**

1. महिलाओं में प्रोत्साहन एवं सहभागिता अधिक थी।
2. अनु. जाति/अनु. जनजाति के लोग लक्ष्य से अधिक रहे।
3. परियोजना पद्धति से कार्यक्रम चलाया जा सकता हैं।
4. राज्य संसधान केन्द्रों ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा प्रकाशित शिक्षण/अध्ययन सामग्री काफी ऊंचे दर्जे की थी।
5. जिन राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा कर्मचारियों की भर्ती चयन के विशेष तरीकों से की गई थी उन राज्यों में यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह चला।

**समस्याएं**

1. कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का स्तर घटिया था।
2. मानीटरिंग पद्धति भरोसेमंद नहीं थी, गलत रिपोर्ट भेजी जाती थीं।
3. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा के लिए वातावरण उपयुक्त नहीं था। प्रकाश का प्रबंध घटिया था।
4. जन संचार माध्यमों से पर्याप्त सहायता नहीं मिली ।
5. स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य सरकारों से सहयोग नहीं मिला। कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो नियम बनाए गए उनके कारण उनके उत्साह में कमी आई।
6. सीखने वाले नियमित रूप से नहीं आए और बीच में ही पढ़ाई छोड़कर जाने वालों की संख्या बहुत अधिक रही जिसके कारण वे फिर में निरक्षर बन गए।
7. साक्षरता स्तर की प्राप्ति आमतौर पर आशा से कम रही और जीवन तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य-कुशलता बढ़ाने और चेतना जगाने का काम ढीला रहा।
8. उत्तर-साक्षरता एवं सतत शिक्षा का प्रबंध न होने से कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा।
9. राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं ने कोई खास राजनैतिक एवं प्रशासनिक सहयोग नहीं दिया।

# 2. लक्ष्य

## 2.1 मिशन का लक्ष्य

**15-35 आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता देना—3 करोड़ को 1990 तक तथा बाकी 5 करोड़ को 1995 तक।**

कार्यात्मक साक्षरता का अर्थ

- साक्षरता और गणित में आत्म निर्भर होना
- अपनी गिरी हुई हालत के कारणों की जानकारी पाना और संगठित होकर तथा विकास के कामों में भाग लेकर अपनी दशा सुधारने की कोशिश करना।
- अपनी आर्थिक स्थिति को और आम हालत को सुधारने के लिए नए हुनर सीखना
- राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण का बचाव, महिला और पुरुषों की समानता, छोटा परिवार—इन सामाजिक मूल्यों को अच्छी तरह समझना।

निरक्षरता की समाप्ति से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए सारे देश में सतत शिक्षा का जाल बिछाया जाएगा। इसके लिए नई संस्थाएं स्थापित की जाएंगी, विद्यमान सुविधाओं का अधिक अच्छा उपयोग किया जाएगा और खुला एवं दूरस्थ अध्ययन (ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग) की व्यवस्था की जाएगी।

(पढ़ने, लिखने और गणित के निर्धारित स्तर के लिए परिशिष्ट—I देखें)

**15 से 35 वर्ष की उम्र के उन लोगों की संख्या जिनको 1987-95 के बीच साक्षर बनाने का लक्ष्य है**

IN **1987-90 के बीच प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में होने वाली वृद्धि**

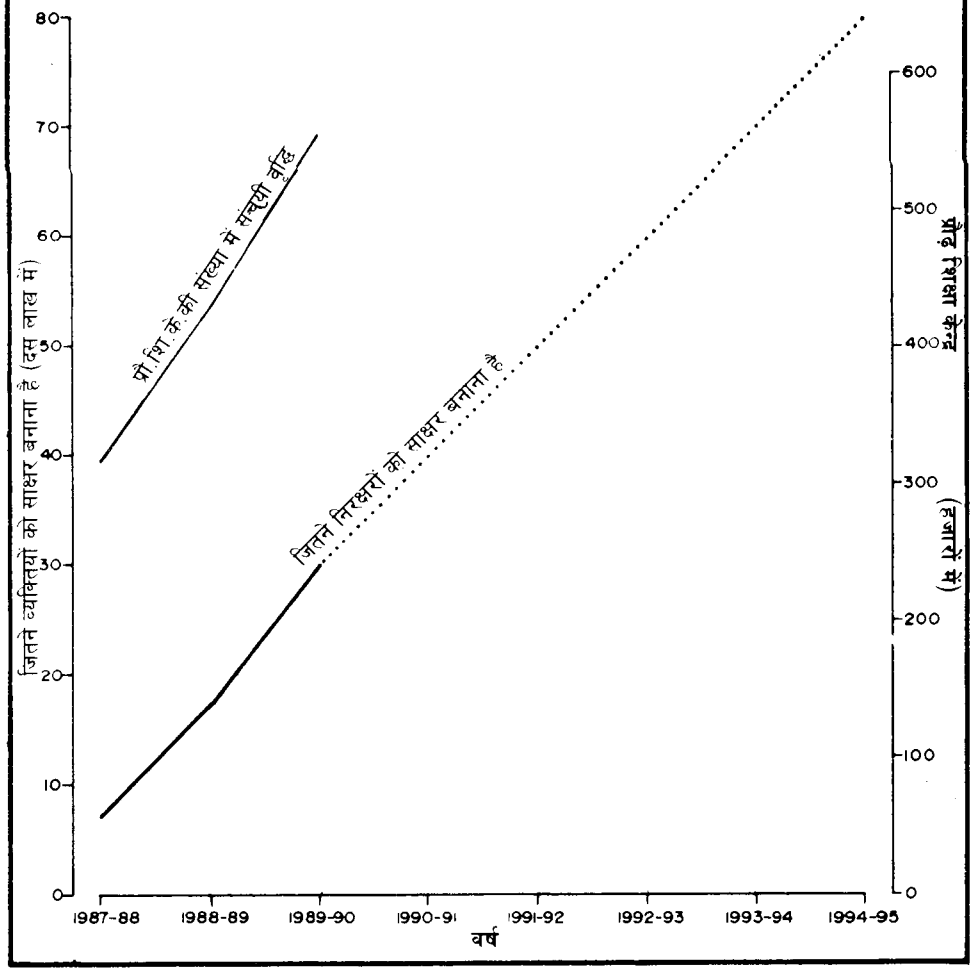

## 2.2 मिशन किन के लिए

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 15-35 उम्रवालों को ज्यादा ध्यान में रखेगा। इस उम्र के लोग देश के विकास में बहुत अहमियत रखते हैं। ये लोग राष्ट्रीय और सामाजिक एकता, उत्पादकता, काम करने के नए नैतिक नियमों और परिवार नियोजन के महत्व को जितना ही समझेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे।

1981 की भारत की जनगणना के 5% नमूना-आंकड़ों के आधार पर इस आयु वर्ग में निरक्षरों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

**तालिका 8. 15-35 आयु वर्ग में निरक्षरों की संख्या** **(10 लाख में)**

| | सभी क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| व्यक्ति | 110 | 94 | 16 |
| | (100.0) | (85.5) | (14.5) |
| पुरुष | 41 | 35 | 06 |
| | (37.3) | (31.9) | (5.4) |
| महिलाएं | 69 | 59 | 10 |
| | (62.7) | (53.6) | (9.1) |

1. इसमें असम के आंकड़े शामिल हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सभी क्षेत्रों की कुल निरक्षरता का प्रतिशत हैं।

**राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का अधिक ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों/ जन-जातियों के व्यक्तियों पर रहेगा।**

- इस समय 11 वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते केवल 32 से 35 प्रतिशत बच्चे ही 5 वर्ष की शिक्षा पूरी कर पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्रारंभिक शिक्षा की नीचे लिखी दो बातों पर जोर दिया गया है:
- 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का नाम स्कूलों में दर्ज कराना और इस बात का ध्यान रखना कि वे पढ़ाई की समाप्ति तक स्कूल न छोड़ें।
- शिक्षा में प्रर्याप्त गुणात्मक सुधार लाना।

15-35 आयु वर्ग में नए निरक्षर लोग लगातार बड़ी संख्या में शामिल होते जा रहे हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्यों को पाना बहुत जरूरी है।

## 2.3 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें

- राष्ट्र का पक्का इरादा
- पढ़ने-पढ़ाने में सहायक वातावरण बनाना
- शिक्षार्थियों और अध्यापकों के मन में साक्षरता के लिए प्रेरणा का होना
- जन शक्ति जुटाना और जन सहयोग प्राप्त करना
- तकनोशैक्षणिक (टेक्नो पेडागोजिकल) साधन जुटाना
- कुशल प्रबंध और मानीटरिंग

मिशन की नीति निर्धारित करते समय ऊपर दी गई बातों की और पृष्ठ 13 पर दी गई समस्याओं को ध्यान में रखा गया है।

# 3. कार्यनीति

## 3.1 कार्यनीति

### (i) राष्ट्र-व्यापी कार्यनीति

### प्रेरणा जगाना

साक्षरता कार्य में सबसे बड़ा सवाल है लोगों में प्रेरणा जगाना। पूरा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इसी सवाल का हल ढूंढ़ने के लिए तैयार किया गया है।

### जन सहयोग पाना

लोगों का सहयोग पाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाएंगे, जैसे अखबार, रेडियो, टी.वी. आदि संचार साधनों की सहायता ली जाएगी, स्थानीय स्तर पर जन सहयोग के लिए जरूरी संस्थाएं कायम की जाएंगी, जत्थे निकाले जाएंगे, युवकों के कैडरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इत्यादि। आशा है कि इन प्रयासों से सीखने के लिए प्रेरणा देने वाला वातावरण बन पाएगा।

### स्वैच्छिक संस्थाओं का ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त करना

सही ढंग की स्वैच्छिक संस्थाओं का पता लगाने के लिए भिन्न-भिन्न तरीके अपनाए जाएंगे। वित्तीय सहायता देने के नियमों को सरल बनाया जाएगा। मिशन कार्यक्रम के प्रसार के लिए तथा प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन विकास, अनुसंधान तथा नवीन प्रयासों के लिए बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल किया जाएगा।

### मौजूदा कार्यक्रमों में पर्याप्त सुधार करना

मौजूदा कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा। परन्तु विज्ञान और तकनोलोजी के जांचे-परखे संसाधनों का प्रयोग करके, बेहतर सुपर्रविज़न, उपयुक्त प्रशिक्षण, शिक्षा में नए प्रयास आदि के द्वारा इन कार्यक्रमों में सुधार किया जाएगा।

## जन आन्दोलन शुरू करना

शिक्षा संस्था, शिक्षक, छात्र, युवक, सैनिक तथा अर्थ सैनिक कर्मचारियों, गृहणियों, भूतपूर्व सैन्कि, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन आदि का सहयोग लेकर कार्यात्मक साक्षरता के जनव्यापी कार्यक्रम को विस्तृत औ सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा साक्षरता के लिए जन आन्दोलन शुरू किया जाएगा।

## सतत शिक्षा को संस्था का रूप देना

समूचे देश में साक्षरता के बाद की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी इसके लिए विशेष रूप से जन शिक्षण निलयम खोले जाएंगे तथा मौजूदा संस्थाओं में मिलनेवाली सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जाएग।

## मानक अध्ययन सामग्री सुलभ कराना

केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर तकनीकी संसाधन के विकास के लिए बनी संस्थाएं इस बात व ध्यान रखेंगी कि अच्छी और मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने वाली सामग्री आसानी से मिल सके।

## सभी जगह शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त कराना

1990 तक साक्षरता, सतत शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाएं देश के हर भाग में उपलब्ध कराई जाएंगी

### (ii) तकनोलोजी का प्रदर्शन

## तकनोलोजी का प्रदर्शन शुरू करना

शिक्षण में सहायक तकनोलोजी की खोजों के विकास, प्रसार और प्रयोग को दृष्टि में रखक 40 जिलों में तकलोलोजी का प्रदर्शन किया जाएगा। बाद में प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि दूसरे जलों में उनका प्रयोग किया जा सके।

(iii) प्रबन्ध

## विभिन्न स्तरों पर मिशन प्रबन्ध व्यवस्था की स्थापना

मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सशक्त मिशन प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसमें कर्मचारियों का उपयुक्त चयन तथा उनका विकास; सूचना का संग्रह, प्रसार और उपयोग; सुव्यवस्थित मानीटरिंग तथा आवश्यक मध्यावधि सुधार; और मूल्यांकन का इंतजाम किया जाएगा।

## 3.2 प्रेरणा का प्रश्न

पूरे विश्व में हुए अनुसंधानों तथा अनुभवों से यह पता चलता है कि प्रौढ़ व्यक्ति साक्षरता के कार्यक्रमों में तभी भाग लेते हैं, जब:

- वे पहले से ही किसी राजनीतिक कार्रवाई अथवा किसी सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में लगे हों, और साक्षरता को सारी विकास प्रक्रिया का अंग समझें।
- वातावरण ऐसा हो जिसमें साक्षरता महत्वपूर्ण समझी जाए और उसके विकास की गुंजाइश हो। लोगों को साक्षरता के लिए तैयार किया जा रहा हो।
- कार्यक्रम की शुरूआत इस प्रकार हो कि शिक्षार्थियों को उसमें अपना हित स्पष्ट दिखाई दे; जैसे नए हुनर सीखने से आर्थिक लाभ होगा, राजनीतिक विषयों और परिवार के स्वास्थ्य पर चर्चा के द्वारा जानकारी मिलेगी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकेंगे, इत्यादि।
- शिक्षक योग्य, नियमित, जानकार और अच्छा व्यक्ति हो तथा शिक्षार्थियों को छोटा न समझे।
- शिक्षण का वातावरण जीता-जागता, दिल खुश करने वाला और आराम देने वाला हो, ऐसे कार्यकलाप आयोजित किए जाते हों जो थकान और बोरियत को दूर करने में सहायक हों।
- अगर शिक्षार्थी यह समझ जाएं कि वे पढ़ना-लिखना सीख सकते हैं और आगे-आगे प्रगति कर सकते हैं तो वे अपनी शुरू-शुरू की अरुचि पर काबू पा सकते हैं।
- ऐसी व्यवस्था हो कि जो लोग साक्षर बन जाएं वे अपनी शिक्षा आगे जारी रख सकें।
- महिलाओं को ऐसा लगे कि साक्षरता कार्यक्रम एक ऐसा साधन है जो उन्हें एक दूसरे के निकट ला सकता है, एकता पैदा कर सकता हैं और उनके आत्म विश्वास और आत्म छवि को बढ़ा सकता है।

## 3.3 प्रेरणादायी कार्यक्रमों की रूपरेखा

| कार्यक्रम की विषय-वस्तु | कार्यक्रम के बाह्य रूप |
|---|---|
| कार्यात्मक शिक्षा. कौशल विकास, आर्थिक कार्यकलाप सम्बन्धी | • शिक्षक निष्ठावान हो, अपना काम करने में अच्छी तरह में प्रशिक्षित हो और गरीबों तथा निरक्षरों के साथ समानता का व्यवहार कर सके।<br>• सीखने का वातावरण सुधरा हुआ हो कक्षाओं में अच्छी प्रकाश व्यवस्था और उपयुक्त अध्ययन सामग्री हो। शिक्षार्थियों के मन में यह भावना हो कि जो लोग कार्यक्रम चलाते हैं उन्हें हमारी चिंता है।<br>• सीखने की गति तेज हो, शिक्षार्थियों में यह विश्वास पैदा किया जा सके कि उनमें सीखने की सामर्थ्य है और साक्षरता शुरू में ही नीरस लगती है बाद में नहीं।<br>• सतत शिक्षा के अच्छे प्रबन्ध हों, अध्ययन सामग्री सुलभ हो, साक्षर व्यक्ति को अपनी नई स्थिति के प्रति जागरूक बनाया जाए।<br>• ऐसा वातावरण तैयार हो जिसमें साक्षरता की जरूरत महसूस की जाए जिसे तैयार करने में राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेता योगदान दें और जिसमें राष्ट्रीय संकल्प दिखाई दे।<br>• और भी कई बातें हैं, जैसे सीखने की सामग्री आकर्षक हो, कार्यकर्ताओं और शिक्षार्थियों के लिए सैर सपाटे और मेलों में जाने के अवसर, प्रोत्साहन और पुरस्कार हों। उन्होंने जो सफलता पाई है उसकी सब जगह प्रशंसा हो। |
| स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर आधारित, विशेषकर बाल-स्वास्थ्य से जुड़े हुए महिला कार्यक्रम | |
| केवल साक्षरता (मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में) | |
| मन बहलाव कर आराम देनेवाला कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यकलाप | |
| चेतना जगाने वाला कार्यक्रम | |
| धार्मिक प्रवचनों, भजनों आदि से जुड़े कार्यक्रम | |

## 3.4 लोगों का सहयोग

— किसी भी सामाजिक मिशन की सफलता का आधार होता है, सामाजिक शक्तियों का संगठन, और लाभार्थियों, कार्यकर्ताओं तथा पूरे समुदाय का सक्रिय सहयोग।
— राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जन शक्ति को संगठित करना एक व्यापक नीति है जिसका एक अंग है-जन सहयोग हासिल करना।

**क्या किया जाएगा और कैसे?**

### 1 जन प्रचार और संचार माध्यम

— सूचना, प्रेरणा तथा सक्रिय योगदान के लिए रेडियो और दूरदर्शन पर नियमित कार्यक्रम प्रसारित करना।
— समाज के प्रभावशाली वर्गों में साक्षरता के प्रति अनुकूल भावना पैदा करने के लिए समाचार-पत्रों का व्यवस्थित उपयोग करना।
— नाटक मंडलियों को गलियों, नुक्कड़ों, छोटे-छोटे गांवों तथा मेलों आदि में भेजना ताकि वे वहां साक्षरता का संदेश पहुंचा सकें।
— वातावरण तैयार करने के लिए लोक और परम्परागत प्रचार माध्यम का उपयोग करना।

### 2 ग्राम शिक्षा समिति

— प्राइमरी शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के अलावा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का भी निरीक्षण ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जाएगा।
— इसके सदस्य होंगे- पंचायत के अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य (उन राज्यों में जहां पंचायती राज्य प्रणाली है) महिलाएं, युवक, शिक्षक आदि।
— बड़े पैमाने पर सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

## 3 जत्थेः नई शिक्षा के लिए सांस्कृतिक काफिले

— नई शिक्षा नीति के लिए (जिसमें साक्षरता, वातावरण, रोजमर्रा का विज्ञान, महिलाओं की समानता तथा राष्ट्रीय एकता शामिल हैं) शिक्षक, छात्र, गैर-छात्र युवक, कलाकार दल बनाकर गाड़ियों, बसों, साइकिलों पर तथा पैदल घूमेंगे।

— वे कस्बों, मोहल्लों तथा गांवों से गुजरेंगे, समस्याओं पर चर्चा करेंगे, रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी और दकियानूसी तत्वों का सामना करेंगे और गरीबों को यह समझाएंगे कि साक्षरता उनकी वर्तमान दशा को सुधारने का महत्वपूर्ण साधन है।

— चर्चा तथा वाद विवाद के अलावा नुक्कड़, नाटक, गीत-नाट्य, समूह-गान का आयोजन भी हो सकता है।

— नेहरू युवक केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, अध्यापक और छात्र संगठन, स्वैच्छिक संस्थाएं और ट्रेड यूनियन, आदि इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे और उनमें समन्वय स्थापित करेंगे।

— जितना धन जरूरी होगा वह सरकार देगी।

## 4. युवक प्रशिक्षण और उनका नियोजन

निम्नलिखित संस्थाओं में से लगभग 100 को प्रशिक्षण का काम सौंपा जाएगा

— स्वैच्छिक संस्थाएं
— विश्वविद्यालय/कालेज
— सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान
— ट्रेड यूनियन
— नेहरू युवक केन्द्र
— श्रमिक विद्यापीठ

- प्रत्येक एजेंसी निश्चित संख्या में युवकों को चुनेगी तथा उन्हें लगभग 3 सप्ताह का प्रशिक्षण देगी।
- मुख्य रूप से वे युवक जो सामाजिक विकास के प्रति वचनबद्ध हों, भूतपूर्व सैनिक, पंचायत के सदस्य, अन्य निष्ठावान व्यक्ति प्रशिक्षार्थी होंगे। इनमें से कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी।
- इसकी जिम्मेदारी नेहरू युवक केन्द्रों के राष्ट्रीय संगठन, और कुछ अन्य प्रमुख संगठन, अनुसंधान संस्था, स्वैच्छिक संस्था आदि की होगी।
- जिनको प्रशिक्षण दिया गया है उनमें से 2000 से 2500 व्यक्ति प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों, साक्षरता/अनौपचारिक शिक्षा के शिक्षक/पर्यवेक्षक के रूप में या शिक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे।

## 3.5 स्वैच्छिक संस्थाएं

**स्वैच्छिक संस्थाएं क्या करेंगी?**

- सुनिर्धारित क्षेत्रों में प्राजेक्ट चलाकर निरक्षरता मिटाने की जिम्मेदारी लेंगी।
- जन शिक्षण निलयम और सतत शिक्षा के अन्य कार्यक्रम चलाएंगी।
- शिक्षकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करेंगी।
- अध्ययन सामग्री अर्थात प्राइमर, लेखन पुस्तिकाएं, चार्ट और शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करेंगी और उन्हें प्रकाशित करेंगी।
- श्रव्य और दृश्य सामग्री बनाएंगी।
- नए प्रयोग, नए तरीके और कार्य-अनुसंधान हाथ में लेंगी।
- वातावरण बनाने में सहायता करेंगी।

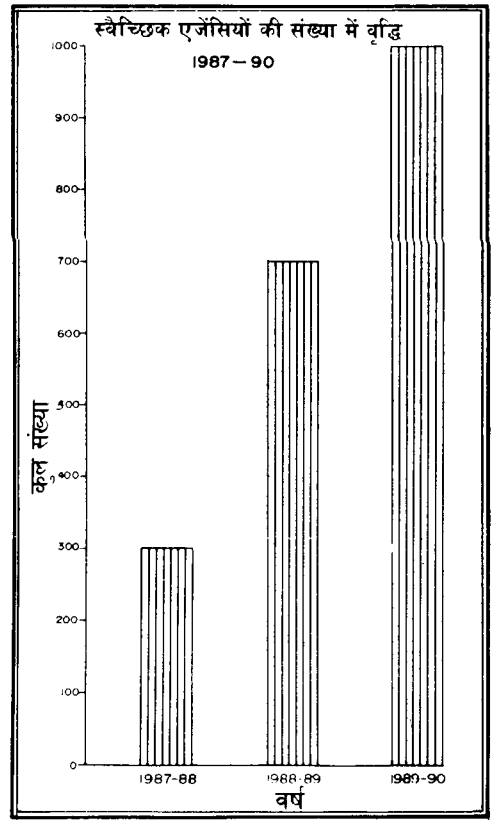


लक्ष्य–उन स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या, जिनको कार्यक्रम में शामिल किया जाएग।

- 1987-88 में 300
- 1989-89 में 700
- 1989-90 में 1000

**स्वैच्छिक संस्थाओं का पता लगाने का तरीका**

- राज्य सरकारों के जरिए
- मध्यस्थ संस्थाओं के जरिए, उदाहरण के लिए निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम सें
  - जन कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद
  - केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
  - खादी और ग्रामोद्योग आयोग
  - राज्य संसाधन केंन्द्र
  - सामाजिक कार्य और अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया
  - भावतुला धर्मार्थन्यास, यल्लामंचिली, आंध्रप्रदेश
  - उत्तराखंड सेवा निधि, अल्मोड़ा
- सीधे राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा

राष्ट्रीय प्राधिकरण स्वयं इस योजना का प्रबंध करेगा और कार्य प्रणाली का निर्धारण करेगा।

- संस्थाओं के प्रारंभिक चुनाव सें कड़ी शर्तें रखी जाएंगी।
- दीर्घकालीन मंजूरियां दी जाएंगी।
- समय पर अनुदान दिया जाएगा।
- मानीटरिंग में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जितनी और जिस प्रकार की सूचना मिलनी चाहिए उतनी और वैसी मिले।

## 3.6 मौजूदा कार्यक्रमों में सुधार

मौजूदा कार्यक्रमों में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं और राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मुख्य हैं। इनकी सावधानी से समीक्षा की गई है और इन्हें पूरी तरह पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संबंध में जो कदम उठाए जाएंगे वे इस प्रकार हैं:

(i) परियोजनाओं के आकार में लचीलापन–किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार 100 से 300 तक केन्द्र हो सकते हैं।

(ii) पर्यवेक्षक 30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के बदले लगभग 8 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे। पर्यवेक्षक अब स्थानीय समुदाय से लिया जाएगा। अनुभवी और उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षा शिक्षक को अधिक पसंद किया जाएगा।

(iii) साक्षरता बोल-चाल की भाषा में दी जाएगी। साक्षरता सामग्री के निर्माण के लिए ऐसी भाषाओं का चुनाव किया जाएगा जो अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं और जो क्षेत्रीय भाषा से अलग हैं।

(iv) तकनो-शिक्षण (टेक्नो-पेडागोज़ी) का व्यवस्थित ढंग से प्रयोग शुरू किया जाएगा, इनमें शीघ्र साक्षरता सीखने के तरीके, पढ़ने-पढ़ाने की सहायक सामग्री, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के वातावरण में सुधार आदि शामिल होंगे।

(v) सहभागी (पार्टिसिपेटरी) प्रशिक्षण पद्धति शुरू करके प्रशिक्षण प्रणाली को सुधारा जाएगा। प्रारंभिक प्रशिक्षणों के दिनों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अंग के रूप में प्रौढ़/अनौपचारिक शिक्षा के लिए जिला संसाधन एकक खोले जाएंगे तथा तकनोलोजी का प्रयोग किया जाएगा।

(vi) महिला शिक्षिकाओं की सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, इसके लिए चाहे उनकी न्यूनतम योग्यताओं में कमी ही क्यों न करनी पड़े।

(vii) जन शिक्षण निलयम (ज.शि.नि.), व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेष समाचारपत्र, दीवारी समाचार पत्र इत्यादि के माध्यम से उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी तथा 1990 तक लगभग 60,000 जन शिक्षण निलयम खोले जाएंगे।

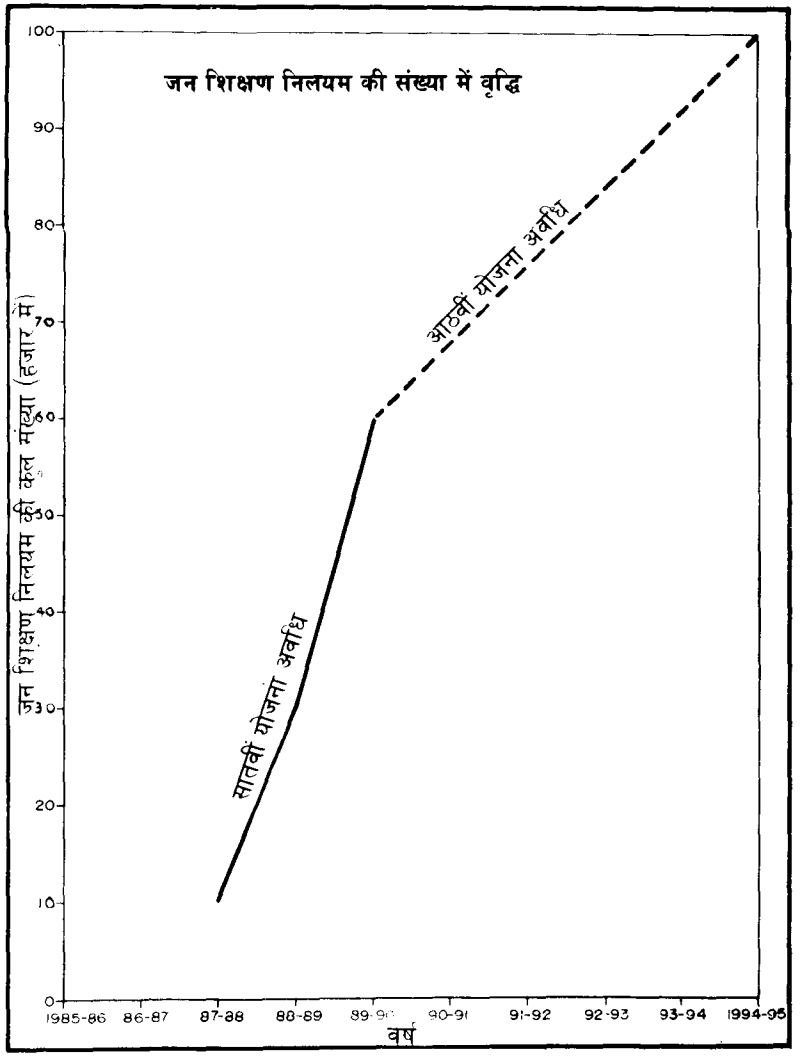

## 3.7 कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम

**जन कार्यक्रम किस लिए?**

- साक्षरता को लोगों का मिशन बनाने के लिए
- मिशन में सभी संस्थाओं का सहयोग पाने के लिए
- साक्षरता कार्यक्रम को युवकों के लिए एक चुनौती बनाने के लिए
- सभी सैनिक दलों का सहयोग पाने के लिए
- महिलाओं की सहभागिता पर बल देने के लिए

**विश्वविद्यालयों/कालिजों के अध्यापकों, छात्रों को शामिल करना**

- अध्ययन काल में की गई सेवा (अर्थात कार्य अनुभव अथवा सामाजिक/राष्ट्रीय सेवा) के अंग के रूप में छात्रों द्वारा शुरू की गई विशिष्ट परियोजनाओं पर बल देना। इन सेवाओं का उल्लेख उनके अंतिम परिणाम-पत्र में करना।
- राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्यात्मक साक्षरता पर बल देना, 1986-87 में शामिल किए गए 200,000 छात्र स्वयं-सेवकों की संख्या को बढ़ाकर 1990 तक 500,000 करना।
- सुनिर्धारित क्षेत्रों में निरक्षरता मिटाने के लिए स्थायी प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना।

**नियोक्ता और ट्रेड यूनियन**

- संगठित और अर्ध संगठित सैक्टरों के नियोक्ताओं तथा ट्रेड यूनियनों को अपने श्रमिकों के लिए साक्षरता कक्षाएं और श्रमिकों के काम से संबंधित पाठ्यक्रम चलाने होंगे। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा।
- रेलवे
- खनन उद्योग
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- सभी मध्यम और बड़े उद्योग

**सभी सैनिक दलों और कैदियों का शामिल होना**

- सशस्त्र सेनाएं और पैरा-मिलिट्री कर्मचारी, सीमा के पास के तथा दूर दराज क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन करने पर विचार कर सकते हैं।
- सशस्त्र सेनाएं और पैरा-मिलिट्री कार्मिकों के कल्याण संगठन अपने कर्मचारियों के परिवारों के लिए साक्षरता तथा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम आयोजित करेंगे।
- इस कार्य में प्रादेशिक सेना व्यापक स्तर पर भाग लेगी।
- नाविक, सिपाही तथा वायुसैनिक बोर्डों के माध्यम से उनके सेवानिवृत्त सैनिक भी भाग लेंगे।
- जेल प्रबन्धक तथा स्वैच्छिक एजेंसियां साक्षरता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करेंगी।

**सुविधाएं उपलब्ध कराना**

- सरकारी तथा निजी कार्यालयों में, शैक्षिक संस्थाओं और अन्य सार्वजनिक जगहों पर शाम को साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्य-कलाप आरम्भ करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

**अध्ययन सामग्री**

- इस जन कार्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री के आकर्षक पैकेज तैयार किए जाएंगे। जहां सम्भव होगा, व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने बैठकर पढ़ने के अलावा आडियो कैसेट प्लेयर, टी.वी., वी.सी.आर. आदि का उपयोग भी किया जाएगा

**महिला आजीवन समेकित शिक्षा (म.आ.स.मे. शि.)**

- बच्चे की सही देखभाल के लिए महिलाओं की साक्षरता तथा शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम आरम्भ करने के प्रयास किए जाएंगे।

## 3.8 सतत शिक्षा

उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा का क्रमबद्ध कार्यक्रम लागू किया जाएगा। जन शिक्षण निलयम (ज.शि.नि.) इसमें प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इसमें 4-5 गांवों के एक समूह के लिए (जिसमें लगभग 5000 की आबादी होगी) एक जन शिक्षण निलयम खोला जाएगा।

**जन शिक्षण निलयम के कार्य**

— साक्षरता का कौशल बढ़ाने के लिए शाम की कक्षाएं लगाना

— पुस्तकालय खोलना

— वाचनालय की व्यवस्था करना जिसमें अच्छे समाचारपत्र और पत्रिकाएं रखी गई हों

— आम समस्याओं पर चर्चा के लिए चर्चा मण्डल गठित करना

— स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, कृषि और पशु चिकित्सा संबंधी नई जानकारी, ऊर्जा संरक्षण और विकसित चूल्हा आदि विषयों पर सरल एवं कम अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना

— खेल तथा साहसपूर्ण कार्यकलापों का आयोजन करना

— परंपरागत लोक शैलियों पर आधारित विशेष मनोरंजक तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करना

— विभिन्न विकास कार्यक्रमों की सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना

— ऐसा संचार केन्द्र आरम्भ करना जहां रेडियो, आडियो कैसेट प्लेयर, टी.वी. तथा हो सके तो वी.सी.आर. भी उपलब्ध हों।

**सतत शिक्षा निम्नलिखित माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी**

- श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए नियोक्ता, ट्रेड यूनियन और सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम चलाना।
- विस्तार कार्य को शिक्षण के बराबर महत्व देने के लिए विश्वविद्यालयों, कालेजों और पालिटेक्निकों सहित सभी उत्तर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा चलाना।
- बड़े पैमाने पर पुस्तक प्रकाशन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम चलाना
- शैक्षिक संस्थाओं में जनता के लिए सायंकालीन पुस्तकालय तथा वाचनालय आरम्भ करना
- छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुसार व्यापक स्तर पर व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के अनौपचारिक कार्यक्रम आयोजित करना। इन कार्यक्रमों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी भाग लें यह सुनिश्चित करना।
- अन्य कार्यक्रम की मदद के रूप में जन प्रचार माध्यम का उपयोग करना।

## 3.9 मानक अध्ययन सामग्री उपलब्ध होना

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सफलता के लिए व्यापक रूप से मुद्रित और गैर-मुद्रित मानक अध्ययन सामग्री का उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है।

— मानक अध्ययन सामग्री ऐसी हो कि
- सीखने वालों में रुचि पैदा हो और वह अंत तक बनी रहे।
- शिक्षक का काम प्रभावशाली हो।
- सीखने वालों में साक्षरता बनी रहे और वे इसका प्रयोग करें।

— अध्ययन सामग्री में निम्नलिखित चीजें हों :
- पूर्व-साक्षरता के स्तर पर पढ़ने-लिखने में रुचि पैदा करने वाली सामग्री
- प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में काम में लाई जाने वाली प्रवेशिकाएं और लेखन-पुस्तकें
- शिक्षक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सहायक सामग्री
- छात्रों तथा स्वयंसेवियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली साक्षरता किटें
- उत्तर साक्षरता सामग्री
- सतत शिक्षा के लिए पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं तथा समाचारपत्र और दूरस्थ अध्ययन पैकेज (डिस्टेंट लर्निंग पैकेज)

— मानक अध्ययन सामग्री के लिए निम्नलिखित बातें अनिवार्य हैं :
- यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं तथा रुचियों से मेल खाती हो
- आवश्यक अनुसंधान/अध्ययन किए जाएं
- सामग्री निर्माण के समय विशेषज्ञों और शिक्षार्थियों तथा जो लोग क्षेत्र में कार्यक्रम चला रहे हैं उनसे बातचीत होती रहे
- उपयुक्त तकनोलोजी तथा विशेष ज्ञान का उपयोग हो
- क्षेत्र में जांच हो और लगातार मानीटरिंग हो।

**अध्ययन सामग्री के लिए उत्तरदायी एजेंसियां।**

**राष्ट्रीय स्तर पर:** राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं से तालमेल रखेगा। उसका काम होगा:

- योजना बनाना और समन्वय करना
- मापदण्ड और मानक तय करना
- आदर्श सामग्री तथा राज्य स्तर पर कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रकाशित करना
- विशेषज्ञों का प्रशिक्षण आयोजित करना
- अनुसंधान और विकास के काम शुरू करना

**राज्य स्तर पर:** राज्य संसाधन केन्द्र तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं

- शिक्षार्थियों की भाषा, वातावरण, व्यवसाय, आदि के अनुसार योजना बनाना
- सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री तैयार करना तथा उसका वितरण करना
- प्रयोग, नए प्रयास और क्षेत्र के लिए उपयोगी अनुसंधान करना

**जिला स्तर पर:** जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान, स्वैच्छिक संस्थाएं तथा परियोजना के कर्मचारी

- स्थानीय रुचियों और वातावरण के अनुसार सामग्री तैयार करना/उसमें परिवर्तन करना।
- अनुपूरक सामग्री तैयार करना

## 3.10 सभी को शिक्षा सुलभ कराना

शिक्षा को सभी प्रौढ़ निरक्षरों, विशेषकर महिलाओं तथा जनजातियों, दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए निम्नलिखित उपाए किए जाएंगे:

— परियोजनाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी।
— स्वैच्छिक संगठनों तथा सामाजिक कार्यों में लगे सक्रिय कार्यकर्ताओं का पूरा पूरा सहयोग लिया जाएगा।
— प्राइमरी स्कूल भी साक्षरता का काम करेंगे।
— ऐसी सभी एजेंसियों का, जो समाज के वंचित वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, सहयोग लिया जाएगा।
— कार्यात्मक साक्षरता के जन कार्यक्रम के माध्यम से हर शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाएगा।
— दूर बैठे सीखने की तकनीकों का विकास किया जाएगा।

समाज के सभी वर्गों को कार्यात्मक साक्षरता देने के लिए गांव के स्तर पर विस्तृत योजना बनाई जाएगी।

# 4. तकनो-शिक्षण सिद्धान्त और तकनोलोजी प्रयोग

## 4.1 वे क्षेत्र जहां तकनोलोजी शिक्षण सिद्धान्तों से निकली बातों का प्रयोग होगा और अनुसंधान तथा विकास के कार्य होंगे

साक्षरता कार्यक्रम आमतौर पर रात को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में आयोजित किए जाते हैं। छात्र और स्वयंसेवी शिक्षक भी उस अध्ययन केन्द्र पर जाना अधिक पसंद करते हैं जहां एक या एक से अधिक व्यक्ति पढ़ने के लिए आते हों। रोशनी का प्रबन्ध अक्सर लालटेनों से किया जाता है। प्राइमरी तथा अन्य शिक्षण सामग्री राज्य स्तर पर तैयार की जाती है और पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त दी जाती है। विज्ञान तथा तकनोलोजी के प्रयोग तथा शैक्षिक अनुसंधान से शिक्षण कार्यक्रम में काफी सुधार लाया जा सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

### रोशनी का प्रबंध

- बिजली का प्रबंध
- बढ़िया पेट्रोमैक्स और लालटेन
- सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करने में कम लागत आए इसलिए अनुसंधान और विकास कार्य

### अध्ययन सामग्री

- बढ़िया ब्लैकबोर्ड तथा रोलर बोर्ड
- प्लास्टिक/कागज के उपयोग द्वारा बनी नई किस्म की स्लेट
- अच्छी किस्म की सहायक सामग्री तैयार करना, जैसे ग्लोब, मानचित्र और चार्ट, मानव शरीर रचना और कार्य-शरीर प्रणाली का ज्ञान कराने के लिए मॉडल
- अध्ययन के लिए रेडियो, आडियो कैसेट तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक सामग्री का उपयोग
- कम्प्यूटर की मदद से अध्ययन और इलेक्ट्रोनिक सामग्री कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान और विकास

**शिक्षार्थी के प्रोत्साहन के लिए**

- जन प्रचार माध्यमों का उपयोग
- पोस्टर, बिलबोर्ड, प्रदर्शनियां

**प्रशिक्षण**

- सामूहिक अध्ययन के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्यमों का उपयोग
- आडियो/वीडियो कैसेट तथा प्रशिक्षण फिल्मों के रूप में बढ़िया कार्यक्रम तैयार करना
- स्लाइडें/फिल्म पट्टियां
- सही कीमत पर ओवर हैड प्रोजेक्टर के बारे में अनुसंधान और विकास ताकि वह सही कीमत पर मिले
- साक्षरता प्राप्त करने की गति और उसके स्तर में सुधार
- कम समय में साक्षरता प्राप्त करने के मौजूदा तरीकों का सर्वेक्षण
- शिक्षक के साथ बैठकर पढ़ने की विधि और संचार माध्यम सें पढ़ने की विधि का एक साथ प्रयोग
- राष्ट्रीय महत्व के विषय के प्रसार के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्मयों का उपयोग
- निम्नलिखित बातों के लिए अनुसंधान और विकास
  - कम समय में अच्छी साक्षरता सिखाने की विधि
  - हर शिक्षार्थी के बारे सें सूचना रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग, सूचना का रखरखाव
  - शिक्षार्थी के मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग

**उत्तर-साक्षरता और सतत-शिक्षा**

- निम्नलिखित सामग्री बड़ी संख्या में प्रकाशित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग
  - पुस्तकें
  - पत्रिकाएं
  - समाचारपत्र
- रेडियो और आडियो कैसेट रिकार्डर/प्लेयर और सम्भव हो तो, वी.सी.आर. की भी व्यवस्था करना
- निम्नलिखित के लिए अनुसंधान और विकास
  - चीजों को बड़े आकार में दिखाने के उपकरण
  - कम कीमत वाला रेडियो, आडियो कैसेट प्लेयर, वी.सी.आर. आदि

**राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रबन्ध में कम्प्यूटरों का उपयोग**

- प्रोजेक्ट योजना बनाने के लिए
- व्यवस्थित सांख्यिकी आधार बनाने के लिए
- आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए ताकि उचित निर्णय लिया जा सके
- सूची (इन्वेंटरी) नियंत्रण के लिए

जिन क्षेत्रों में तकनोलोजी उपमिशन और खास खास लघु मिशन काम करेंगे, जो काम सहयोगी एजेंसियों द्वारा किए जाएंगे तथा जो लक्ष्य रखे गए हैं, वे कब कब किए जाएंगे इसका ब्यौरा परिशिष्ट IV में दिया गया है।

## 4.2 तकनोलोजी की प्रयोग विधि

- 40 जिलों का चयन: 20 अच्छी स्थिति वाले जिले
  20 घटिया स्थिति वाले जिले
- तकनोलोजी प्रयोग के लिए मिशन प्रबन्ध प्रणाली का निर्माण
- मिशन द्वारा समस्याओं का पता लगाना
- जन सहयोग पाने के लिए अभियान
- तकनो-शिक्षण सिद्धान्तों के पैकेज का विकास
- जो तकनोलोजी विकसित की गई उसका उत्पादन में प्रयोग
- साधनों और परिणामों की मानीटरिंग और समीक्षा
- तकनोलोजी प्रयोग के विस्तार के लिए शर्तें तय करना
- 40 जिलों से आगे तकनोलोजी का प्रयोग करना
- जिन जिलों में तकनोलोजी का प्रयोग नहीं किया गया वहां की समस्या की सूचना भेजना ताकि उनका हल खोजा जा सके

# 5. प्रबन्ध

## 5.1 मिशन प्रबन्ध के मुख्य सिद्धान्त

- विकेन्द्रीकरण तथा काम करने में स्वायत्तता होना, लेकिन नियंत्रण केन्द्रीकृत होना
- लोगों का सहयोग प्राप्त करना
- सहयोगी एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उचित तरीके निकालना
- कार्यकर्त्ताओं में व्यावसायिक क्षमता होना
- महिलाओं को कार्यक्रम में व्यापक स्तर पर शामिल करना
- किस स्तर पर क्या निर्णय लिए जाएंगे, जिम्मेदारी किसकी होगी और कौन जवाब देगा इसका स्पष्ट उल्लेख होना
- लचीलापन
- कार्यकर्ताओं के चयन, प्रशिक्षण तथा प्रेरणा के नए तरीके
- नए प्रयोग करने के लिए काफी धन की व्यवस्था करना। इसके लिए एकमुश्त बड़ी राशि भी दी जा सकती है।
- अध्ययन सहायक सामग्री के रूप में, प्रबन्ध में और नौकरशाही दूर करने में कम्प्यूटरों तथा इलेक्ट्रोनिक साधनों का उपयोग।

## 5.2 मिशन प्रबन्ध का ढांचा

### परियोजना

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रबन्ध में परियोजना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह परियोजना जिले के एक या साथ लगे दो ब्लॉकों में फैली होगी।

### उद्देश्य

— परियोजना क्षेत्र में निरक्षरता मिटाने की पूरी जिम्मेदारी उठाना

— सतत शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना

### विशेषताएं

मिशन प्रबन्ध की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

— प्रशासनिक दृष्टि से संभव होना

— काम की दृष्टि से स्वायत्त होना

— एक साथ लगे क्षेत्र चुनना

— सभी परियोजनाओं के लिए समान बुनियादी बातें तथा वित्तीय मानदंड

— नवीनता को बढ़ावा देने के लिए लचीलापन तथा विभिन्नता को प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेषकर स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में ऐसा किया जाएगा।

— परियोजनाओं को राज्य सरकार, स्वैच्छिक एजेंसी, पंचायती राज संस्था जैसी विभिन्न एजेंसियां लागू करेंगी।

**प्रबन्ध कार्य**

— कार्यक्रम की योजना बनाना

— पर्यवेक्षकों और प्रशिक्षकों को चुनना और प्रशिक्षण देना

— विकास से संबंधित एजेंसियों तथा जन संगठनों से सम्पर्क बनाना

— आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना

— मानीटरिंग तथा मूल्यांकन करना

**संचालन की कार्य-नीति**

— प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र (प्रौ.शि.के.) संचालन की इकाई होगी।

— गांव/मुहल्ला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का आयोजन किया जाएगा।

— प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का आयोजक एक ऐसा स्थानीय कार्यकर्ता होगा जो लोगों को पसंद हो।

— एक पर्यवेक्षक (प्रेरक) लगभग 8 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेगा

— प्रेरक उसी क्षेत्र का होगा। अनुभवी तथा सफल प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के सफल आयोजक को प्राथमिकता दी जाएगी।

— प्रेरक जन शिक्षण निलयम के माध्यम से उत्तर-साक्षरता तथा सतत शिक्षा का भी आयोजन करेगा।

**जिला स्तर**

जिला स्तर पर सभी शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यापक योजना बनाने की और उनके प्रशासन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा बोर्ड की होगी। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के ही अंग के रूप में स्थापित जिला संसाधन एकक जिला शिक्षा बोर्डों को तकनीकी मदद देगा।

**जिला शिक्षा बोर्ड के काम**

— पूरे जिले में निरक्षरता मिटाने की योजना बनाना

— विभिन्न एजेंसियों को अलग-अलग स्थानों में कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी सौंपना

— जिला संसाधन एकक का पूरा मार्गदर्शन करना

— यह देखना कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए प्रौढ़ शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में तालमेल हो

**जिला संसाधन एकक के कार्य**

— जिला शिक्षा बोर्ड को तकनीकी सहायता देना

— जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना

— विकास विभागों तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना

— बुनियादी तथा उत्तर-साक्षरता कार्यक्रमों के लिए सामग्री तैयार करना

— जन प्रचार माध्यमों से पूरी मदद लेना

— मूल्यांकन करना

**राज्य स्तर**

राज्य स्तर पर एक आयोग/प्राधिकरण होगा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। यह उसी ढंग से कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा जिस ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को तकनीकी संसाधन की सहायता देने के लिए अधिकांश राज्यों में राज्य संसाधन केन्द्र हैं। वे राज्य स्तर के आयोग/प्राधिकरण की सहायता करेंगे। राज्य संसाधन केन्द्रों को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी तथा राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल रखा जाएगा।

## राष्ट्रीय स्तर

राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा प्राधिकरण (रा.प्रौ.शि.प्रा.) होगा जिसके अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे।इसे अपने काम करने की स्वतंत्रता होगी तथा ऐसे सभी निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा जिनके लिए मंत्रिमंडल की अनुमति लेनी जरूरी नहीं होगी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को लागू करने के लिए एक मिशन कार्यदल बनाया जाएग। इस कार्यदल के अध्यक्ष महा-निदेशक होंगे जो अपर/संयुक्त सचिव के स्तर के होंगे। वर्तमान प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को बदलकर राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान बनाया जाएगा। रा.प्रौ.शि.प्रा. राज्य सरकारों, स्वैच्छिक एजेंसियों आदि को तकनीकी मदद देने के लिए यह संस्थान सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करेगा

## राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा प्राधिकरण (रा.प्रौ.शि.प्रा.) की जिमेदारियां और कार्य

— वातावरण बनाना

— कार्यक्रम के लिए योजना तथा बजट की व्यवस्था करना

— क्षेत्र कार्यक्रमों को चलाना

— सामग्री के विकास तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थाएं बनाना

— राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को शिक्षण संबंधी सहायता देना

— सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाना

— जन प्रचार माध्यमों की मदद प्राप्त करना

— अन्य विकास विभागों से संपर्क बनाना

— मानीटरिंग, सतत मूल्यांकन तथा अनुसंधान के काम हाथ में लेना

## 5.3 मानीटरिंग और मूल्यांकन

### रूपरेखा

— सभी स्तरों पर प्रबन्ध में सुधार के लिए जिस सूचना की जरूरत होती है वह विश्वसनीय होनी चाहिए तथा लगातार मिलती रहनी चाहिए। इसके लिए ऐसी सूचना प्रबंध प्रणाली शुरू की जाएगी जिसमें कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाएगा।

— सूचना भेजने तथा आंकड़े जमा करने की प्रणाली पृष्ठ 51 पर "सूचना वितरण प्रणाली का ढांचा" ग्राफ में दिखाई गई है।

### सूचना रखने का तरीका

— शिक्षार्थियों से संबंधित आंकड़े प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर फार्मों में लिखकर रखे जाएंगे और समय-समय पर उनमें उचित परिवर्तन किए जाते रहेंगे। इनके सारांश पर्यवेक्षकों के पास भेजे जाएंगे। पर्यवेक्षक इनके आधार पर हाथ से रिपोर्ट तैयार कर प्रोजेक्ट कार्यालय को भेजेंगे। प्रोजेक्ट कार्यालय से ये रिपोर्टें जिला कार्यालय को भेजी जाएंगी।

— कम्प्यूटर के प्रयोग का पहला स्तर होगा जिला। वहां कम्प्यूटर में सभी शिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों के ब्यौरे-वार आंकड़े रखे जाएंगे। इस स्तर पर किसी भी शिक्षार्थी या प्रशिक्षक के बारे में पूरी जानकरी पाना संभव होगा।

— जिला स्तर के कंप्यूटरों से प्रारंभिक स्तर के विस्तृत आंकड़ों को संक्षिप्त किया जाएगा। फिर उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कम्प्यूटरों के लिए भेजा जाएगा।

— सभी जरूरी आंकड़ों की सही और सरल तरीके से रखने की जरूरत है। इसके लिए 40 तकनोलोजी प्रयोग वाले जिलों के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में आंकड़े जमा करने के फार्मों और तरीकों में सुधार किया जाएगा।

**मानीटरिंग के नए रूप को क्रम से लागू करना**

— पहले चरण में मार्च, 1988 तक 40 तकनोलोजी प्रयोग वाले जिलों में कम्प्यूटर द्वारा मानीटरिंग का काम शुरू किया जाएगा। पायलट अध्ययन के अंग के रूप में हर जिला मिशन कार्यालय में छोटा कम्प्यूटर लगाया जाएगा।

— 40 में से 2 जिलों में 15-35 आयु वर्ग के सभी निरक्षरों से संबंधित आंकड़े निरंतर इकट्ठे किए जाएंगे और इन्हें कम्प्यूटर में भरा जाएगा। इससे जिला मिशन के नेताओं को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत सभी निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए गांव के स्तर पर योजना शुरू करने में मदद मिलेगी।

— इस चरण में देश भर के खास-खास स्थानों में विस्तृत प्रणाली अध्ययन (सिस्टम्स स्टडीज़) किए जाएंगे।

— पहले चरण में, जिला मिशन के नेता को पूर्णकालिक कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा।

— राष्ट्रीय स्तर पर 40 जिलों के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए पहले चरण में ही कम्प्यूटर का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा।

— दूसरे चरण में (1988-89) 40 जिलों से मिले अनुभवों को और विस्तृत प्रणाली अध्ययनों के निष्कर्षों को सामने रखकर सारे देश के लिए कम्प्यूटर योजना बनाई जाएगी। इस चरण में राज्य स्तर पर कम्प्यूटर द्वारा काम शुरू हो जाएगा।

— पहले चरण के अंत में, तकनोलोजी के प्रयोग से मिले अनुभव तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (नेशनल इंफरमेटिक्स सेंटर) पर कम्प्यूटर से हुए काम की स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा पूर्ण कालिक कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाए या राष्ट्रीय नेटवर्क का प्रयोग किया जाए।

— राष्ट्रीय स्तर पर कम्प्यूटर द्वारा काम की शुरुआत 1989-90 (तृतीय चरण) में की जाएगी।

**कार्यक्रम के साथ-साथ बाह्य मूल्यांकन तथा कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में अध्ययन**

— समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा स्वैच्छिक संगठनों से कहा जाएगा कि कार्यक्रम के जारी रहते जो आंकड़े प्राप्त हों उनकी परीक्षा (कनकरेंट डेटा आडिटिंग) करें और वे कार्यक्रम के साथ-साथ और अंत में मूल्यांकन भी करें।

— निरक्षरता पर मिशन का प्रभाव जानने के लिए और पृष्ठ 14 पर दिए गए विशिष्ट लक्ष्य किस सीमा तक पूरे हुए हैं यह जानने के लिए अध्ययन शुरू किए जाएंगे।

# वित्तीय अनुमान

| परियोजना का खर्च (1987-90) | (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| – क्षेत्र कार्यक्रम | 325 |
| – स्वैच्छिक एजेंसियां | 50 |
| – विद्यार्थियों तथा अन्य स्वयंसेवकों के माध्यम से जन साक्षरता कार्यक्रम | 10 |
| – सतत शिक्षा | 110 |
| – प्रबन्ध तथा जन-प्रचार माध्यमों की सहायता | 25 |
| – अनुसंधान और विकास पर प्रत्यक्ष खर्च | 30 |
| **कुल** | **550** |
| केन्द्र का हिस्सा | 340 |
| राज्यों का हिस्सा | 210 |

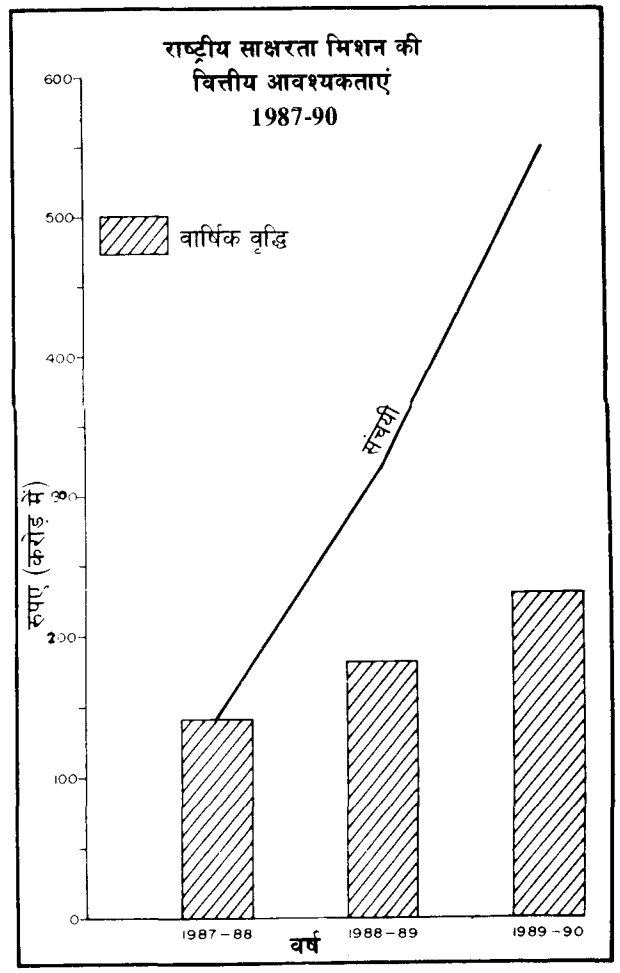

# राष्ट्रीय स्तर का ढांचा

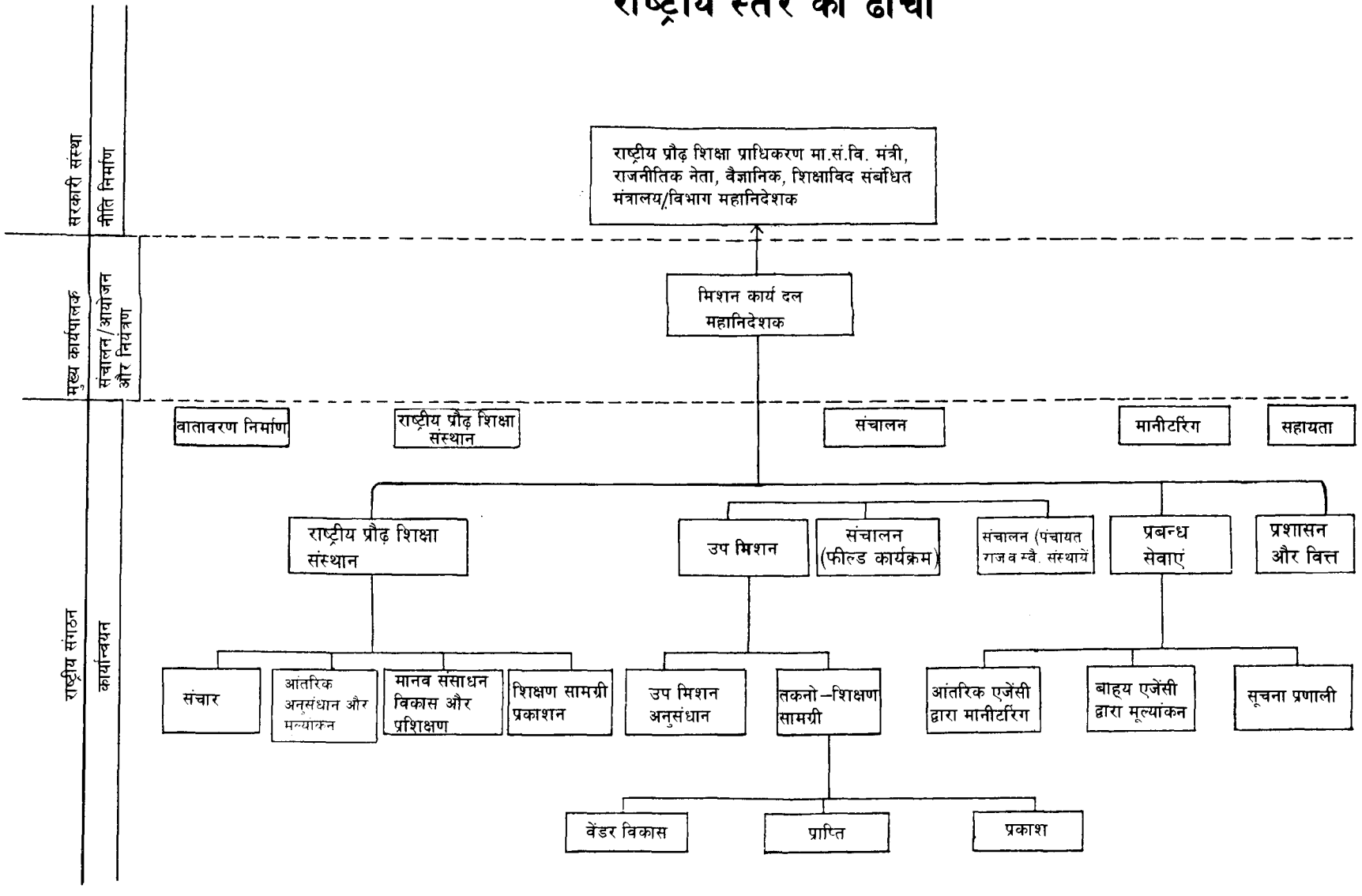


*वर्तमान प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को बदल कर

# सूचना वितरण प्रण्णली का ढांचा

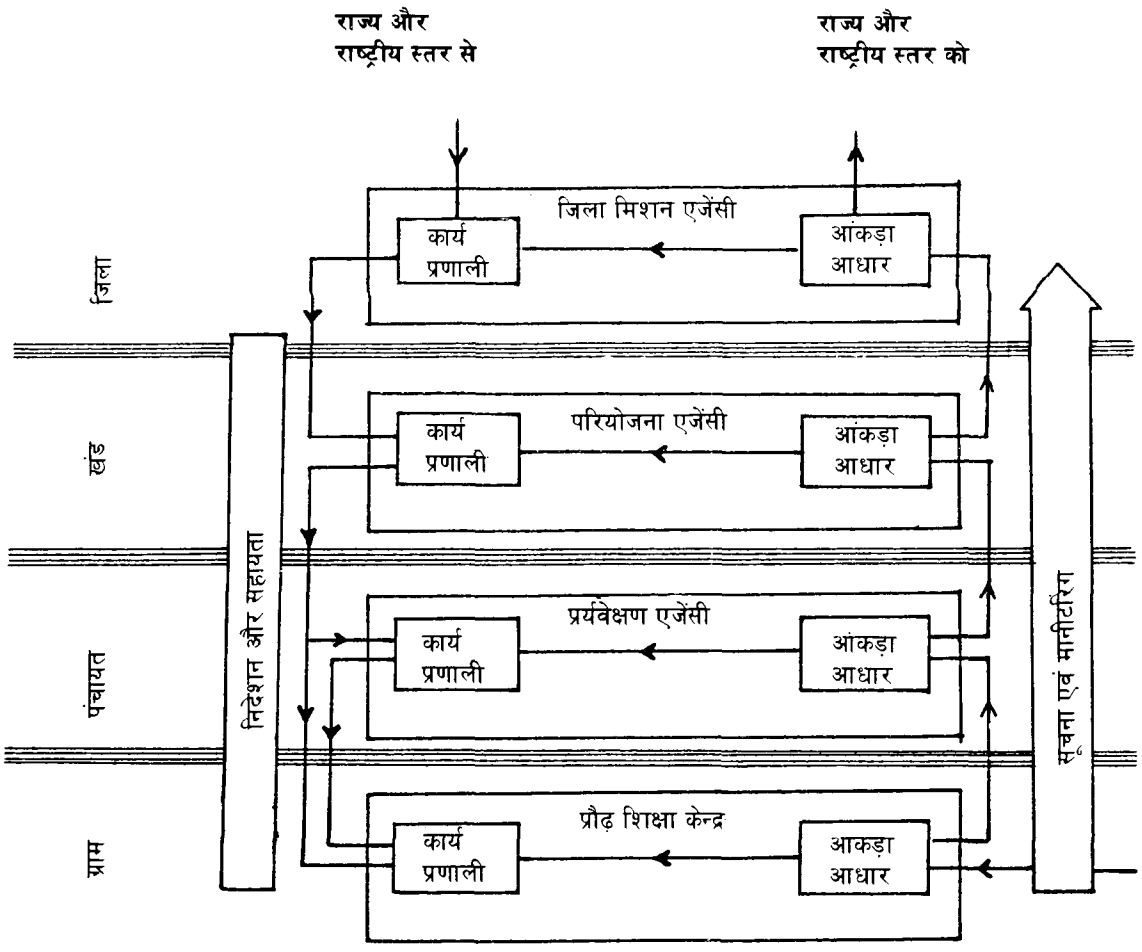


**आंकड़ा आधार**

- शिक्षार्थियों द्वारा भाग लेना
- शिक्षार्थियों का काम
- सामग्री और उपकरणों का उपलब्ध होना
- समुदाय द्वारा भाग लेना

**कार्य प्रणाली निवेश**

- विज्ञान और तकनोलोजी
- शिक्षण संबंधी सुधार
- आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त सूचना
- विकास सूचना

# परिशिष्ट

I. पढ़ने, लिखने और गणित के निर्धारित स्तर

II. वर्ष 1987-90 के दौरान किस एजेंसी द्वारा 15-35 आयु-वर्ग के कितने प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाया जाएगा

III. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की वित्तीय आवश्यकताएं (1987-90)

IV. सहयोगी संस्थाएं और उनकी भूमिका

# पढ़ने लिखने और गणित के निर्धारित स्तर

**पढ़ना**

(क) शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर लिखे किसी आसान पैरे को सही तरीके से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलकर पढ़ना।

(ख) सरल भाषा में लिखे छोटे पैरे को 35 शब्द प्रति मिनट की गति से चुपचाप पढ़ना।

(ग) रास्ते के संकेतों, इश्तिहारों, सरल हिदायतों तथा नवसाक्षरों के लिए छपे समाचारपत्रों आदि को समझकर पढ़ना।

(घ) अपने काम-काज और रहन-सहन के संबंध में सरल रूप से लिखे संदेशों को समझने की योग्यता।

**लिखना**

(क) सात शब्द प्रति मिनट की गति से समझकर नकल करना।

(ख) पांच शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लेना।

(ग) ठीक-ठीक दूरी पर तथा सीधी पंक्ति में लिखना।

(घ) शिक्षार्थियों के रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले फार्म, छोटे पत्र तथा आवेदन अपने आप लिखना।

**गणित**

(क) 1-100 अंकों को पढ़ना तथा लिखना।

(ख) छोटे-मोटे हिसाब करना जिनमें जोड़ और घटा तीन अंकों से ज्यादा के न हों और गुणा व भाग दो अंकों से ज्यादा के न हों। इनमें भिन्न वाली संख्याएं न हों।

(ग) भार, नाप–तोल, रुपए-पैसे, दूरी तथा क्षेत्रफल की मीट्रिक इकाइयों तथा समय की इकाइयों का काम चलाने लायक ज्ञान होना।

(घ) अनुपात तथा ब्याज की साधारण जानकारी तथा उनका अपने काम-काज और रहन-सहन में प्रयोग। इनमें भिन्न वाली संख्याएं न हों।

# वर्ष 1987-90 के दौरान किस एजेंसी द्वारा 15-35 आयु-वर्ग के कितने प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाया जाएगा

(केन्द्र हजारों में, व्यक्ति 10 लाख में)

| क्रम. सं. | एजेंसी/कार्यक्रम का नाम | 1987-88 केन्द्र | 1987-88 व्यक्तियों की संख्या | 1988-89 केन्द्र | 1988-89 व्यक्तियों की संख्या | 1989-90 केन्द्र | 1989-90 व्यक्तियों की संख्या | 1987-90 व्यक्तियों की संख्या | VIII वीं योजना (1990-95) व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | ग्रा.का.सा.प. | 120 | 2.40 | 130 | 2.60 | 135 | 2.70 | 7.70 | 10.00 |
| 2. | रा.प्रौ.शि.का. | 125 | 2.50 | 140 | 2.80 | 150 | 3.00 | 8.30 | 10.00 |
| 3. | स्वैच्छिक संस्थाएं | 25 | 0.50 | 40 | 0.80 | 60 | 1.20 | 2.50 | 5.00 |
| 4. | ने.यु.के. | 13 | 0.26 | 23 | 0.46 | 33 | 0.66 | 1.38 | 4.00 |
| 5. | स.वा.वि.यो. | 20 | 0.40 | 60 | 120 | 120 | 2.40 | 4.00 | 9.00 |
| 6. | विश्वविद्यालय व कालेज | 20 | 0.40 | 25 | 0.50 | 30 | 0.60 | 1.50 | |
| 7. | जन कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम | | | | | | | | |
| | (क) छात्र स्वयंसेवक (रा.से.यो.,गैर रा.से.यो. और एन.सी.सी.) | स्वयंसेवक | 0.44 | स्वयंसेवक | 0.58 | स्वयंसेवक | 0.70 | 1.72 | 2.00 |
| | (ख) सेना कार्मिक तथा अन्य शिक्षित स्वयंसेवक | | | | 0.56 | | 0.60 | 1.16 | 2.00 |
| 8. | नियोक्ता, मजदूर संघ, श्रमिक विद्यापीठ | 10 | 0.20 | 30 | 0.60 | 50 | 1.00 | 1.80 | 6.00 |
| | कुल | 333 | 7.10 | 448 | 10.10 | 578 | 30.06 | 12.86 | 50.00 |

नोट: संक्षेपों के पूरे नाम पृष्ठ 1-3 पर देखें।

परिशिष्ट III

# राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की वित्तीय आवश्यकताएं (1987-1990)

(करोड़ रुपयों में)

| क्रम सं. | एजेंसी/कार्यक्रम का नाम | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1987-90 कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं | 45.00 | 48.00 | 51.00 | 144.00 |
| 2. | राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम | 47.00 | 52.00 | 56.50 | 156.00 |
| 3. | स्वैच्छिक एजेंसियां | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 50.00 |
| 4. | नेहरू युवक केन्द्र | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 |
| 5. | छात्रों और अन्य स्वयंसेवकों द्वारा जन कार्यक्रम | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 10.00 |
| 6. | जन शिक्षण निलयम का संगठन | 15.00 | 35.00 | 60.00 | 110.00 |
| 7. | प्रशासन और अनुश्रवण, संसाधन विकास, संचार, माध्यम की सहायता व मूल्यांकन, कार्यक्रम लागत का 5% | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 25.00 |
| 8. | तकनो-शिक्षण प्रयोग और अनुसंधान तथा विकास | 7.50 | 11.00 | 11.50 | 30.00 |
| | कुल | 137.50 | 182.00 | 230.50 | 550.00 |

टिप्पणी: वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान मौजूदा कीमतों के आधार पर किया गया है और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भर करेगी।

# सहयोगी एजेन्सियां और उनकी भूमिका

लक्ष्य

| तकनोलोजी उप-मिशन | सहयोगी एजेन्सियों के नाम | मिनी मिशन | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऊर्जा और विद्युत | गै.प.ऊ.स्रो. वि.,भा.भा. इ.लि., के.इ.लि., भा.पे.सं. और अन्य | सोलर पैक/बायोगैस प्लांटों का उत्पादन/ डिजाइन का मानकीकरण/ लगाना/रखरखाव। | 15,000 | 8,000 | 8,000 |
| | | अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से बेहतर पेट्रोमैक्स, हरिकेन, लालटेन इत्यादि का उत्पादन | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| मुद्रण तकनोलोजी | कें.यां.इ.सं., के.इ.इं.अ.स. और अन्य संगठन जिनका पता लगाया जाना है। | स्वीकृत एजेंसियों के माध्यम से अनुसंधान तथा विकास | | | |
| | | कम लागत वाली मुद्रण तकनीकें निकालने के लिए अनु. और विकास शुरू करना। | अनुसंधान किया जाना है | अनुसंधान जारी रखना है | प्रयोग |
| शिक्षण सिद्धान्त/ साक्षरता सीखना | के.भा.भा.सं., प्रौ.शि.नि., रा.सं.के., इ.आ. | साक्षरता सीखने की वर्तमान तकनीकों का सर्वेक्षण | सर्वेक्षण किया जाना है | प्रयोग | प्रयोग |
| | | शीघ्र सीखने के तरीकों का मानकीकरण | तरीकों का मानकीकरण किया जाना है। | प्रयोग | प्रयोग |
| | | कम्प्यूटर की मदद से शिक्षण के सहायक साधनों का विकास | 5 जिले-विषय और पैकेज का निर्णय किया जाएगा | 5 जिले | 5 जिले |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| शिक्षण में सहायक साधन और श्रव्य-दृश्य सामग्री | प्रौ.शि.नि/रा.सं.के., के.इ.इं.अ.सं., इ.वि..रा. इ.लि.. कें.वै.उ.सं..चंडीगढ | शिक्षण सामग्री का विकास | 20,000 श्रव्य/दृश्य केसेटों का उत्पादन और वितरण | 10,000 | 10,000 |
| | भा.पे.र.लि.,क्षे.अनु.प्र. जोरहाट, क्षे.अनु.प्र., जम्मू | बेहतर ब्लैकबोर्डों/रोलर बोर्डों का उत्पादन; प्लास्टिक स्लेटों/बेहतर चाकों का उत्पादन और वितरण | 20.00<br>6 लाख | 10,000<br>9 लाख | 10,000<br>12 लाख |
| जन प्रचार माध्यमों और ग्रुप माध्यमों के लिए साफ्टवेयर | विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, के.शै.प्रौ.सं. रा.शि.प्र.सं., इ.व्या.प्रौ.वि.नि., अ.अ.के., रा.डि.सं., प्रौ.शि.नि., रा.सं.के. | – धारावाहिक<br>– लघु फिल्में<br>– आकाशवाणी/ दूरदर्शन स्पाट<br>– प्रदर्शनियां | वर्तमान उत्पादनों के अलावा कब कितना उत्पादन होना चाहिए इसका निर्णय तब किया जाएगा जब प्रचार-साधनों के स्लाट-समय पर निर्णय लिया जाएगा | | |
| | आकाशवाणी और दूरदर्शन | –परम्परागत और लोक प्रचार माध्यमों का प्रयोग, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रसारण | प्रत्येक राज्य संसाधन केन्द्र 4 दलों को शामिल करेगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुमोदन के बाद प्रचार अभियान चलाया जाएगा। | | |
| इलैक्ट्रानिकी पद्धतियां टी.वी., रेडियो आडियो कैसेट वी.सी.आर. इत्यादि | द.वि., इ.आ., के.इ.इं.अ.सं., भा.इ.लि.लि. इ.व्या.प्रौ.वि. नि.लि., इत्यादि | टी.वी. रेडियो, आडियो कैसेट, वीडियो कैसेट रिकार्डर का विकास, उन्हें लगाना और रख-रखाव तथा बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए अनुसंधान तथा विकास | टी.वी. 2600 रेडियो 20,000 ओवरहैड प्रोजेक्टर 10 वी.सी.आर. 10 | 1,400<br>10,000<br>15 | 1,400<br>10,000<br>15 |
| प्रबध सूचना पद्धति के लिए और शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में सुधार करने के लिए कम्प्यूटर | इ.आ., के.इ.इ.अ.सं. | कम्प्यूटरों का विकास 40 तकनोलोजी प्रयोग वाले जिला मुख्यालयों में लगाना और उनका रख-रखाव | कम्प्यूटर 40 | | |

NIEPA DC
D06488